



2026: AHC: 51653

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3471/2026

शशि प्रकाश गुप्तायाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कीर्तिकर पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कीर्तिकर पांडे और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि रिट याचिकाकर्ता एक शिकायतकर्ता है, जिसका आरोप है कि प्रतिवादी संख्या 3, जिन्हें सहायक उप-पंजीयक (स्टाम्प) के रूप में पक्षकार बनाया गया है, ने उनके साथ धोखाधड़ी और कदाचार किया है। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन वह अभी तक संपन्न नहीं हुई है।
3. वर्तमान याचिका में उक्त विभागीय कार्यवाही को संपन्न कराने हेतु प्रार्थना की गई है।
4. न्यायालय की राय में, इस मामले में याचिकाकर्ता का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है। हालांकि, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद का तर्क है कि यदि विभागीय कार्यवाही शुरू हो चुकी है और अभी तक संपन्न नहीं हुई है, तो उसे कानून के अनुसार संपन्न किया जाएगा।
5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक: 13 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।